

(6)

जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/जिला विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय, बहराइच।

कृपया शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बहराइच के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वैकेन्सी मैनेजमेण्ट पोर्टल <https://upanganwadibharti-> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के आलोक में जिलाधिकारी, महोदय बहराइच द्वारा दिनांक को प्रदान की गई की अनुमति के क्रम में जनपद के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा भर्ती पोर्टल पर फीड करायें गये परियोजनावार रिक्त पदों का विवरण एवं विज्ञापित किये जाने वाले पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् है-

तालिका-01
रिक्त पदों का वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों की संख्या	पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों की संख्या	कुल रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों की संख्या
			03	08
01	कैसरगंज	05	20	26
02	फखरपुर	06	15	17
03	तेजवापुर	02	15	17
04	महसी	02	37	46
05	मिहीपुरवा	09	09	12
06	नवाबगंज	03	02	03
07	रिसिया	01	20	21
08	बलहा	01	17	19
09	चित्तौरा	02	01	07
10	नगर	06	01	06
11	विशेश्वरगंज	0	06	07
12	जरवल	0	07	07
13	हुजूरपुर	0	10	10
14	पयागपुर	0	03	03
15	शिवपुर	0	12	12
	योग-	37	177	214

विज्ञापित किये जाने वाले पदों की अर्हता-

- 01- विज्ञापित पदों पर केवल भारतीय महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- 02- चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- 03- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होगी।
- 04- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (नगर निकाय की स्थिति में)/ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में) की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
- 05- आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि (01.01.2026) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- 06- आयु के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए हाई-स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

7

सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(ग) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार चयन की वरीयता निम्नानुसार होगी-

- (I)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को वरीयता दी जायेगी।
- (II)- उसी ग्राम सभा/वार्ड की (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- (III)- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(घ) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही चयन की वरीयता निम्नानुसार होगी-

- (I)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- (II)- उसी ग्राम सभा/वार्ड की (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- (III)- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(ङ) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार चयन की वरीयता निम्नानुसार होगी-

उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

शासनादेश के बिन्दु-03 के प्रस्तर-(च) के अनुसार निम्न होगी-

- (I)- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- (II)- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- (III)- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस सम्बन्ध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

(8)

- (IV)- निवास, आय व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास, आय व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
- (V)- आय प्रमाण पत्र की वैधता की गणना विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से की जायेगी।
- 06- विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त भी रिक्त पदों की संख्या घट या बढ सकती है।
- 07- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।
- 08- विज्ञापित पदों हेतु केवल वैकेन्सी मैनेजमेण्ट पोर्टल <https://upanganwadibharti> .पद पर ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर स्वीकार होंगे। ऑफलाइन आवेदन फार्म किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे, समस्त चयन की कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर चाहीं गई वांछित सूचना न भरने पर आफलाइन कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 09- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाने पर पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदिका स्वयं उत्तरदायी होगी। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।
- 10- उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti> -पद पर भी उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु तहसील कार्यालय /खण्ड विकास कार्यालय/ बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) बहराइच से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।
- 11- एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर, शासनादेश के बिन्दु-7 के प्रस्तर-(II) में उल्लिखित गणना के अनुसार मेरिट बनायी जायेगी।
- ध्यान देने योग्य-आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती में अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मेरिट, न्यूनतम इण्टरमीडिएट के अंको में स्नातक एवं अधिकतम परास्नातक के अंको को जोड़कर विभागीय पोर्टल के माध्यम से तैयार की जायेगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट का आशय यह है कि बिना इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण किये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका पद हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी अर्ह नहीं है, तत्पश्चात मेरिट इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक के आधार पर बनायी जायेगी।
- 12- समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हों, तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- 13- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहें आवेदन फार्म में विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म में उक्त श्रेणी का उल्लेख न करने

(9)

पर अभ्यर्थी को विधवा/तलाक़ुदा/परित्यक्ता श्रेणी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दवा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।

- 14- बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार परियोजना नवाबगंज-01, बलहा-04 एवं चित्तौरा में 04 कुल 09 आंगनबाड़ी केन्द्रों का कोड नम्बर पोषण ट्रेकर पर सही नहीं होने के कारण उक्त केन्द्रों को छोड़कर शेष परियोजनावार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण तालिका 01 में है।
- 15- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09/03/2026 को रात्रि 12 बजे तक होगी।

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए जनपद के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए सहमति की दशा में अनुमति प्रदान करना चाहें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बहराइच।
13/02/2026

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बहराइच।
13/02/2026

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
बहराइच।
13/02/2026

जिला विकास अधिकारी
बहराइच।
13/02/2026

13-02-2026
GD

*

13-02-2026